न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 274/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/23

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.जोगाराम पुत्र टीकमाराम जाति जाट निवासी–धड़ोई,नाड़ी,जानियाना तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 2.संतोष पत्नी धेवरनाथ जाति जाट निवासी धड़ोई नाड़ी,जानियाना तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.जोगाराम पुत्र चिमनाराम जाति सुथार निवासी जानियाना तहसील पचपदरा 2.अलसाराम पुत्र पिरागाराम जाति जाट निवासी जानियाना तहसील पचपदरा 3.जमना पत्नी रायचन्द जाति जाट 4.दलाराम पुत्र रायचन्द जाति जाट 5.नानगाराम पुत्र रायचन्द जाति जाट 6.सोहनलाल पुत्र जोगाराम जाति सुथार निवासी जानियाना तहसील पचपदरा 7.सीतादेवी पत्नी लालाराम जाति सुथार निवासी जसोल तहसील पचपदरा 8.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

आदेश

दिनांक 12-7-2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 613 [illegible] /82 कुल क्षेत्रफल 4.6539 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 612/82 क्षेत्रफल [illegible] हैक्टयर [illegible] है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखल[illegible] की जाती है और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:58:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

ग्राम जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 613/82 व 614/82 कुल क्षेत्रफल 4.6539 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 612/82 क्षेत्रफल 3.8850 हैक्टयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 613/82 व 614/82 कुल क्षेत्रफल 4.6539 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 612/82 क्षेत्रफल 3.8850 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अन्तः मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 613/82 व 614/82 कुल क्षेत्रफल 4.6539 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 612/82 क्षेत्रफल 3.8850 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 613/82 व 614/82 कुल क्षेत्रफल 4.6539 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 612/82 क्षेत्रफल 3.8850 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा [illegible] निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:58:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 10.4.2023 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। प्रार्थीगण अधिक्ता अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जानियाना तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 613/82 व 614/82 कुल क्षेत्रफल 4.6539 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 612/82 क्षेत्रफल 3.8850 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 12.7.2024 को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:58:23 IST
Reason: SelfAttested